



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 1979/अग्रहायण 23, 1901
No. 392] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 14, 1979/AGRAHAYANA 23, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विस्तृत मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1979

सा. का. नि. 690(अ).—संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार की 19 नवम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1659 के द्वारा

संशोधित 7 जुलाई, 1972 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 835 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (ग) के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :—

“(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूतावास में मंत्री (आर्थिक)।”।

[संख्या एफ. 8(2) सी. ई./78]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में
एस. एन. काव, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 1979

G.S.R. 690(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77, read with clause (1) of article 299, of the Constitution, the President hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), No. GSR 835, dated the 7th July, 1972, as amended by notification No. GSR 1659, dated the 19th November, 1977, namely :—

In the said notification, after item (c), the following item shall be inserted, namely :—

“(d) Minister (Economic) in the Indian Embassy in the United States of America.”.

[No. F. 8(2)CE/78]

By order and in the name of President of India
S. N. KAO, Director